

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.:- 321/2025

वाद पत्र अ0 धारा 88, आर.टी.ए.

1. सिवंरजीत सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह जाति नाई निवासी-बुगलावाली तह0:-संगरिया, जिला-हनुमानगढ़,(राज0)
2. अमर सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह जाति नाई निवासी-बुगलावाली तह0:-संगरिया, जिला-हनुमानगढ़,(राज0)

-वादीगण

बनाम्

1. जसवीर सिंह पुत्र श्री जंगसिंह जाति नाई निवासी-बुगलावाली तह0:-संगरिया, जिला-हनुमानगढ़,(राज0)
2. तहसीलदार, (राजस्व), संगरिया ,तहसील- संगरिया, जिला-हनुमानगढ़(राज0)

— प्रतिवादीगण

दिनांक 26.08.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलैक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टांडी वकिल वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकिल प्रति.सं. 01 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है यह डिक्री दी जाती है;-इस आशय कि घोषणा फरमाई जाती है कि वादीगण को वाद पत्र कि चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण को संगरिया तहसील के चक नं. 19 एम0जे0डी0 के खाता सख्या. 43/36 में 0.759 हैक्ट चक नं 29 ए0एम0पी0 के खाता सं. 43/33 में 1.771 हैक्ट कृषि भूमि का ब. हि.ब. खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व उक्त खातो में वादीगण कि पिता प्रतिवादी सं. 1 जसवीर सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जाता है

जय कौशिक एव  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेगे।

नोट :- बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज...~~...~~निल...~~...~~मुब्लिक...~~...~~निल...~~...~~बाबत...~~...~~निल...~~...~~खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारिख वसूलयाबी तक...~~...~~अदा करे।

बसन्त...~~...~~दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.08.2011 जारी किया गया।



  
(जय कौशिक)

सहायक ~~...~~ एवं उपखण्ड  
उपखण्ड अधिकारी  
अधिकारी ~~...~~